केंद्रीय मुहर विभाग-2

संदर्भ : कें.म्.वि-2/जी-73/16: 1239 (भाग 1)

दिनांक 27/09/2023

विषय: आई एस 1239 (Part 1):2004 इस्पात की नालियाँ, नलिकाकार समग्रियाँ तथा इस्पात की अन्य फिटिंगें का संशोधित प्रॉडक्ट मान्यल।

- 1) यह उपरोक्त के संदर्भ मे है।
- 2) आई एस 1239 (भाग 1):2004 का अनुमोदित संशोधित प्रॉडक्ट मानुयल BIS वैबसाइट पर: "Conformity Assessment → Product Certification → Product Specific Information→ Product Manual" के अंदर होस्ट कर दिया गया है।
- 3) इनपुट सामग्री की आवश्यकताओं को संशोधित करने के लिए निरीक्षण और परीक्षण की योजना को संशोधित किया गया है
- 4) सभी शाखा कार्यालयों से अनुरोध है की यह प्रॉडक्ट मानुयल जिसमे SIT भी संयुक्त है, को आवेदकों एवं लाईसेंसधारियों को 7 दिन के भीतर भेजें।

(शिवम आहूजा) वैज्ञानिक-सी

Dated: 27/09/2023

प्रमुख, (कें.मु.वि.-2) उपमहानिदेशक(प्रमाणन) क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को intranet माध्यम से परिचालित

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/G-73/16: 1239 (Part 1)

Subject: Revised Product Manual for Steel Tubes, Tubulars and Other Wrought Fittings Part 1: Steel Tubes According to IS 1239 (Part 1):2004

- 1. This has reference to the subject mentioned above.
- 2. The approved revised Product Manual for IS 1239 (Part 1):2004 has been hosted on the BIS website under "Conformity Assessment → Product Certification → Product Specific Information → Product Manual".
- 3. The Scheme of Inspection and Testing has been revised to modify the requirements of input material.
- 4. BOs are advised to send this Product Manual which incorporates SIT to all applicants and licensees within 7 days.

(Shivam Ahuja) Scientist-C

Head (CMD 2)
DDG (Certification)

Circulated to: All ROs/BOs through BIS intranet